गोपनीय

अर्द्धशासकीय पत्र सं० 2020/39(2)-12(5)-74

माता प्रसाद,

मुख्य सचिव।

सतर्कता अनुभाग-2,

उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 12 सितम्बर, 1995

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित होगा, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच अथवा अनुसंधान करने के लिए प्रदेश में एक विशेष पुलिस दल सतर्कता अधिष्ठान नाम से स्थापित है। इस अधिष्ठान को जांच के लिए मामले शासन के सतर्कता विभाग द्वारा अभिदिष्ट किये जाते हैं। सामान्यतः राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जाँच/अन्वेषण राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जाती है और अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच/विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराए जाते हैं। यदि राजपत्रित अधिकारी के साथ-साथ अराजपत्रित कर्मचारी का आचरण भी अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है तो सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की जायेगी।

2—उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक परिपत्र द्वारा ''राज्य सतर्कता समिति'' का गठन किया गया जिसमें यह प्रक्रिया निर्धारित की गई कि सतर्कता जाँच से सम्बन्धित मामलों का प्रशासकीय विभाग द्वारा गहराई से परीक्षण किया जाय ताकि ऐसे ही मामले सतर्कता जाँच हेतु भेजे जा सकें जिनमें विशिष्ट एजेंसी द्वारा जाँच का औचित्य हो अथवा विभागीय जांच संभव न हो एवं मामला महत्वपूर्ण हो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्यतया राजपत्रित अधिकारियों एवं समकक्ष लोक सेवकों के सम्बन्ध में ही किया जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यक परीक्षण करने के उपरान्त सतर्कता जांच का औचित्य प्रतीत होने पर प्रशासकीय विभाग अपने प्रस्ताव सहित सम्बन्धित पत्रावली एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी के साथ जिसमें आरोपों का स्पष्ट उल्लेख हो अथवा वे बिन्दु भी स्पष्टतया अंकित हों जिनके आधार पर सतर्कता जांच का औचित्य पाया जा रहा है, दस स्वच्छ टंकित प्रतियों में सतर्कता विभाग को अग्रसारित करेंगे तथा ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष सतर्कता विभाग के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने के पूर्व वे स्वयं अपने प्रभारी मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त नहीं करेंगे। यदि ''राज्य सतर्कता समिति'' किसी मामले में सतर्कता जांच कराए जाने का निर्णय लेती है तब सतर्कता विभाग द्वारा ही उच्चादेश प्राप्त करने के बाद (जिसमें प्रशासकीय विभाग के प्रभारी मंत्री जी की स्वीकृति आवश्यक होगी) अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

3—''राज्य सतर्कता समिति'' का वर्तमान स्वरूप निम्नवत् है :—

1—मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2—आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास	सदस्य
3—माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव	सदस्य
4—गृह सचिव	सदस्य
5—सतर्कता सचिव/प्रमुख सचिव, सतर्कता	सदस्य/संयोजक

4—सतर्कता जांच आदेशित करने मात्र से ही भ्रष्टाचार उन्मूलन का लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता है। जांच के समय से पूरा होने तथा उसके प्रभावी सम्पादन एवं जांच के पूर्ण होने के उपरान्त उसके निष्कर्षों पर विचार कर प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः इस दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाए जाने के उद्देश्य से ''राज्य सतर्कता समिति'' के कार्य-क्षेत्र में समय-समय पर वृद्धि की गई है। वर्तमान में ''राज्य सतर्कता समिति'' के कार्य-क्षेत्र में सतर्कता जांच आदेशित करने के साथ-साथ निम्न कार्य भी किए जाते हैं :—

(1) सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच के उपरान्त दोषी पाए गए लोक सेवकों के विरुद्ध, सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति से यदि प्रशासकीय विभाग सहमत न हो और भिन्न मत रखते हों तो अन्तिम निर्णय लेने के लिए ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष सतर्कता विभाग के माध्यम से मामला प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रेतर कार्यवाही समिति के आदेश प्राप्त करने के बाद की जाएगी।

(2) सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति पर दण्डित लोक सेवक यदि अपील करता है और प्रशासकीय विभाग उस अपील को स्वीकार करना चाहते हैं तो उस पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सतर्कता सचिव के

माध्यम से ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष प्रस्तुत कर उनका मत प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) इसी प्रकार प्रशासनाधिकरण से सम्बन्धित मामलों में यदि प्रशासकीय विभाग सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुति से भिन्न मत रखते हैं तो अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व उसे सतर्कता सचिव के माध्यम से ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष प्रस्तुत कर उनका मत प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

(4) ''राज्य सतर्कता समिति'' के सामने वे प्रकरण भी रखे जायेंगे जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन में प्रशासकीय विभाग में विलम्ब हो रहा हो।

(5) जिन मामलों में सतर्कता निदेशक निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर जांच समाप्त नहीं कर पाते उनमें समय बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भी ''राज्य सतर्कता समिति'' के सामने रखे जायेंगे।

5—इधर हाल में प्रायः यह देखने में आ रहा है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासकीय विभागों द्वारा सतर्कता जांच हेतु जो प्रस्ताव सतर्कता विभाग के माध्यम से ''राज्य सतर्कता समिति'' के विचारार्थ भेजे जाते हैं उसमें विभागीय मंत्री जी के पूर्व में आदेश प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रशासकीय विभागों द्वारा सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही करने की स्थिति में भी ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष प्रस्ताव भेजने के पूर्व उच्चादेश प्राप्त कर लिए जाते हैं इस प्रकार के मामले जब सतर्कता विभाग के संज्ञान में आते हैं तो विकल्पहीनता की स्थिति स्वीकार करने में सतर्कता विभाग को बाध्य होना पड़ता है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

6—यह भी देखने में आ रहा है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही किए जाने के प्रकरण सतर्कता विभाग के माध्यम से ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष बहुत अधिक संख्या में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसी मामले में सतर्कता जांच के उपरान्त सतर्कता विभाग में प्राप्त अन्तिम आख्या का गहराई से परीक्षण करने के उपरान्त एवं आवश्यकतानुसार न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त सतर्कता विभाग द्वारा संस्तुति की जाती है, जिसका पर्याप्त समुचित आधार होता है। अतः सतर्कता विभाग की संस्तुतियों पर प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्णय लेते समय उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए एवं भिन्न कार्यवाही का पर्याप्त औचित्य पाने पर ही अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व प्रस्ताव ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष सन्दर्भित करना चाहिए।

7—यह भी देखने में आ रहा है कि सतर्कता अधिष्ठान की जांच के फलस्वरूप अथवा प्रशासनाधिकरण द्वारा जांच के परिणाम पर की गई संस्तुति के अनुसार विभागीय कार्यवाही के मामलों में प्रशासकीय विभागों के स्तर पर अत्यधिक विलम्ब होता है। इसके कारण न केवल ऐसी कार्यवाही का निरोधक प्रभाव समाप्त होता है, वरन् सतर्कता विभाग में तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में अनावश्यक पत्र व्यवहार में काफी श्रम और समय का अपव्यय होता है।

8—उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग ऐसे मामलों में जिनमें वे सतर्कता जांच कराना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मामले की प्रारम्भिक जांच विभागीय स्तर पर हो चुकी है अथवा मामला विभागीय स्तर पर देखा जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रस्ताव ''राज्य सतर्कता समिति'' के समक्ष प्रेषित करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग विभागीय मंत्री का अनुमोदन नहीं प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सतर्कता विभाग की संस्तुति से भिन्न कार्यवाही के वे ही प्रकरण बिना विभागीय मंत्री के अनुमोदन लिए ''राज्य सतर्कता समिति'' समक्ष प्रेषित किए जाएं जिनमें भिन्न कार्यवाही किए जाने का पूर्ण औचित्य एवं आधार हो।

9—यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासन स्तर पर सतर्कता विभाग में प्राप्त जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त जो मामले प्रशासकीय विभागों को सन्दर्भित किए जाते हैं उनमें से वे मामले जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय लिया जाता है उनमें कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों के अनुरूप समय-सारिणी (संलग्न) के अनुसार कार्यवाही की जाय एवं कार्यवाही के पूर्ण हो जाने पर तुरन्त इसकी सूचना सतर्कता विभाग को भी दी जाय ताकि सम्बन्धित मामलों का यथाविधि निपटारा हो जाय और वे निरर्थक लम्बित न रहें।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

माता प्रसाद

संलग्नकः यथोपरि।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (नाम से)

पृष्ठांकन संख्या 2020(1)/39(2)-12(5)-74, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष,

(2) समस्त मण्डलायुक्त

(3) समस्त जिलाधिकारी,

(4) समस्त पुलिस महानिदेशक,

(5) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,

(6) समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक,

(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

(8) समस्त पुलिस अधीक्षक,

(9) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एम० एस० कुदेसिया,
उप सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 7 सा० सतर्कता—5-12-2001—(1605)—1500—(कम्प्यूटर/आफसेट)